अनुदान संख्या 86 – जहाजरानी विभाग
GRANT No. 86–DEPARTMENT OF SHIPPING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1052,51,00		1069,75,00	817,29,20	–252,45,80
पूरक	Supplementary	17,24,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					218,66,36
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	415,24,00		416,56,00	262,37,19	–154,18,81
पूरक	Supplementary	1,32,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					149,07,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (25245.80 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1724.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.25245.80 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.1724.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 24 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1237.00			
पू.	S.	264.00	1693.55	1645.43	–48.12
पु.	R.	192.55			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6000.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–6000.00			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	24901.00			
पू.	S.	1.00	14278.00	13456.04	–821.96
पु.	R.	–10624.00			
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses				
मू.	O.	55206.00			
पू.	S.	1048.00	54523.31	54266.07	–257.24
पु.	R.	-1730.69			
मुख्य शीर्ष "3052" जहाजरानी	Major Head "3052" Shipping				
मू.	O.	3501.00			
पू.	S.	411.00	3213.68	3213.06	–0.62
पु.	R.	–698.32			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3056'' अंतर्देशीय जल परिवहन	Major Head "3056" Inland Water Transport				
मू.	O.	14096.00	11247.10	8996.10	–2251.00
पु.	R.	–2848.90			

(I) 13041.00 लाख रु. का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 12700.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''अंतर्देशीय जल परिवहन - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण''- 5500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(ख) ''अंतर्देशीय जल परिवहन - केंद्रीय योजना स्कीम - अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास'' - 500.00 लाख रु. योजना परिव्यय में संशोधित अनुमान चरण पर कमी कर दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग'' -

(क) ''स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू किए जाने के लिए अनुदान'' - 700.00 लाख रु. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''गैर-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पोत प्रांगणों और निजी क्षेत्र के पोत प्रांगणों को आर्थिक सहायता''

(I) Provision of Rs.13041.00 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these Rs.12700.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "Inland Water Transport – Assistance to Public Sector Undertakings – Inland Waterways Authority of India" – Rs.5500.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(b) "Inland Water Transport – Central Plan Scheme - Development of IWT" – Rs.500.00 lakhs – due to reduction of plan outlay at revised estimates stage.

(B) Major Head "2852" – "Engineering Industries – Transport Equipment Industries" -

(a) "Grants for implementation of VRS" – Rs.700.00 lakhs - due to non-approval of proposals for Voluntary Retirement Schemes.

(b) "Subsidy to non-Central PSU Shipyards and Private Sector Shipyards" –

6000.00 लाख रु. निजी पोत प्रांगणों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3051'' - ''प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - महानिदेशालय'' - 1469.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 547.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2016.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 555.28 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने, किराया, दरों एवं करों, छोटे कार्य के लिए आपूर्तिकर्ताओं से बिलों के प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''प्रकाश स्तंभ - कार्यचालन व्यय - प्रबंधन'' -1815.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2315.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 524.41 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय जहाजरानी'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - जहाजरानी महानिदेशक'' - 1872.69 लाख रु.का मूल प्रावधान को 176.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2048.69 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 663.43 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने, विदेशी दौरों के मूर्तरूप न लेने और विज्ञापन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

Rs.6000.00 lakhs - due to non-clearance of proposals of private shipyards.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "3051" – "Lighthouses and Lightships" -

(a) "Direction and Administration – Directorate General" - the original provision of Rs.1469.00 lakhs was augmented to Rs.2016.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.547.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.555.28 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of bills from suppliers for rent, rates and taxes, minor work and economy measures.

(b) "Lighthouses - Working Expenses - Management" - the original provision of Rs.1815.50 lakhs was augmented to Rs.2315.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.500.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.524.41 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) Major Head "3052" – "Coastal Shipping" -

(a) "Direction and Administration – Director General of Shipping" - the original provision of Rs.1872.69 lakhs was augmented to Rs.2048.69 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.176.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.663.43 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of foreign tours and requirement of less funds towards advertisement.

(ख) ''विनियमन तथा निरीक्षण - व्यापारी बेड़ा विभाग'' - 1016.30 लाख रु.के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1216.30 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 220.25 लाख रु. की बचत, रिक्त पदों के भरे न जाने, कम दौरे किए जाने और कम चिकित्सा दावों के कारण हुई।

(ग) ''नाविकों का कल्याण - रोजगार कार्यालय'' - 123.01 लाख रु.का मूल प्रावधान को 34.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 157.01 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 43.55 लाख रु. की बचत विदेशी दौरों के मूर्तरूप न लेने और कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अनुसंधान और विकास स्कीमों (पोत निर्माण) के लिए सहायता अनुदान'' - 400.00 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र से स्कीमों का अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''पोत निर्माण आर्थिक सहायता'' - 3829.70 लाख रु. की बचत (17000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण चरणों की उपलब्धि में विलंब होने के कारण हुई।

(गा) ''राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र को सहायता'' - 363.00 लाख रु. की बचत (380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र से प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3051'' - ''सामान्य - अनुसंधान और विकास - अन्य मदें (अनुसंधान और विकास स्कीम)'' के अंतर्गत 621.87 लाख रु. की बचत (645.00 लाख रु. के

(b) "Regulation and Inspection – Mercantile Marine Department" - the original provision of Rs.1016.30 lakhs was augmented to Rs.1216.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.220.25 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, less tours and medical claims.

(c) "Seaman's Welfare - Employment Offices" - the original provision of Rs.123.01 lakhs was augmented to Rs.157.01 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.34.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.43.55 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialisation of foreign tours and receipt of less medical claims.

(III) Under Major Head "2852" – "Engineering Industries – Transport Equipment Industries" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants-in-aid for Research and Development Schemes (ship-building)" – saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-approval of schemes from National Ship Design and Research Centre.

(B) "Ship-building Subsidy" – saving of Rs.3829.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17000.00 lakhs) was due to delay in achievement of construction stages.

(C) "Assistance to National Ship Design and Research Centre" – saving of Rs.363.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.380.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from National Ship Design and Research Centre.

(IV) Under Major Head "3051" – "General – Research and Development – Other items (R&D Scheme)" – saving of Rs.621.87 lakhs (against

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3056'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान'' - 4837.60 लाख रु. की बचत (12882.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं/स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय - अंतर्देशीय जल परिवहन उद्यमियों और अन्य प्रोत्साहन स्कीमों को कर्ज के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ब्याज सहायता'' - 173.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्ज और आर्थिक सहायता संबंधी प्रस्तावों के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत 292.20 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (481.55 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - जहाजरानी विभाग'' - 192.55 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 144.43 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3052'' -

(क) ''तटीय जहाजरानी - प्रशिक्षण और शिक्षा - भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान'' - 189.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 188.50 लाख रु. था।

the sanctioned provision of Rs.645.00 lakhs) was due to non-approval of Research and Development proposals by competent authority.

(V) Under Major Head "3056" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Grant to Inland Waterways Authority of India" – saving of Rs.4837.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12882.00 lakhs) was due to non-approval of some of the projects/schemes for Eastern Region.

(B) "Other Expenditure – Interest subsidy to Banks/Financial Institutions for Loans to I.W.T. entrepreneurs and other incentive schemes" - saving of Rs.173.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to delay in approval of proposals for loans and subsidy.

(VI) Under four heads savings of Rs.292.20 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.481.55 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs - under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Shipping" – Rs.192.55 lakhs. Actual excess, however, was Rs.144.43 lakhs.

(B) Major Head "3052" –

(a) "Coastal shipping – Training and Education – Indian Institute of Maritime Studies" – Rs.189.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.188.50 lakhs.

(ख) ''सामान्य - प्रशिक्षण - भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय'' - 100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 99.50 लाख रु. था।

(b) "General – Training – Indian Maritime University" – Rs.100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.99.50 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (15418.81 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 132.00 लाख रु. के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.15418.81 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.132.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 37 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4858'' इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4858" Capital Outlay on Engineering Industries				
मू.	O.	1600.00			
पू.	S.	1.00	1597.00	1320.00	–277.00
पु.	R.	–4.00			
मुख्य शीर्ष ''5051'' पत्तनों तथा प्रकाशस्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	29000.00			
पू.	S.	131.00	23402.00	23167.19	–234.81
पु.	R.	–5729.00			
मुख्य शीर्ष ''5052'' जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	8124.00	500.00	500.00	. .
पु.	R.	–7624.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''5075'' अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	750.00	100.00	100.00	. .
पु.	R.	–650.00			
मुख्य शीर्ष ''6858'' इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	1450.00	1150.00	1150.00	. .
पु.	R.	–300.00			
मुख्य शीर्ष ''7051'' पत्तनों तथा प्रकाश स्तंभों के लिए कर्ज	Major Head "7051" Loans for Ports and Light Houses				
मू.	O.	600.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–600.00			

(I) 1324.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 800.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.1324.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.800.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4858'' - ''अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हुगली डाक तथा पत्तन इंजीनियरिंग लिमिटेड'' - 200.00 लाख रु. निवेश प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4858" – "Other Industrial Machinery Industries – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Hooghly Dock and Ports Engineering Ltd." – Rs.200.00 lakhs - due to non-approval of investment proposals.

(खा) मुख्य शीर्ष ''7051'' - ''मुख्य पत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - पत्तन न्यास को कर्ज'' - 600.00 लाख रु. जलवायु की खराब स्थिति की वजह से विशाखापत्तनम बंदरगाह में आउटर हार्बर चैनल को गहरा किए जाने की वजह से कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "7051" - "Major Ports – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Port Trust" – Rs.600.00 lakhs - due to non-execution of work relating to deepening of Outer Harbour Channel at Visakhapatnam Port owing to bad climatic conditions.

(II) मुख्य शीर्ष ''5051'' - ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन - मुख्य इंजीनियर एवं एएलएचडब्ल्यू प्रशासक'' के अंतर्गत 457.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 129.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 586.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण 122.14 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''5051'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''लघु पत्तन'' - अन्य लघु पत्तन'' -

(क) ''अवतरण सुविधाएं और घाटों का निर्माण'' - 2188.96 लाख रु. की बचत (4393.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अत्यधिक जलवायु परक स्थितियों के होने, उपस्करों के अनुमोदन एवं आपूर्ति में विलंब होने और संरचनात्मक डिजाइन में संशोधन होने के कारण हुई।

(ख) ''सुनामी पश्चात निर्माण कार्य'' - 2012.50 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी पश्चात निर्माण कार्य के कुछ प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत'' -

(क) ''प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास - प्रकाश स्तंभों का निर्माण और सुधार'' - 797.39 लाख रु. की बचत (2.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3202.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अत्यधिक जलवायुपरक परिस्थितियों की वजह से परियोजना के पूरा होने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य नौचालन सहायता सामग्री का निर्माण और विकास - जलयानों का क्रय और प्रतिस्थापन'' - 499.43 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एम.वी.डीप स्टाम्फ जलयानों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5051" – "General – Direction and Administration – Chief Engineer – cum – Administrator ALHW" – the original provision of Rs.457.00 lakhs was augmented to Rs.586.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.129.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.122.14 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "5051" – savings also occurred under the following heads:-

(A) "Minor Ports – Other Small Ports" -

(a) "Construction of landing facilities and jetties" – saving of Rs.2188.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4393.00 lakhs) was due to extreme climatic conditions, delay in approval and supply of equipments and revision of structural design.

(b) "Post Tsunami works" - saving of Rs.2012.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to delay in approval of some of the proposals of Post Tsunami works.

(B) "Lighthouses and Lightships" –

(a) "Construction and Development of Light Houses – Construction and Improvement of Light Houses" - saving of Rs.797.39 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3202.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs) was due to delay in completion of projects owing to extreme climatic conditions.

(b) "Construction and development of other Navigational Aids – Purchase and replacement of vessels" - saving of Rs.499.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to delay in procurement of vessels M.V. Deep Stamph.

(ग) ''अन्य व्यय - परिसम्पत्तियों का प्रतिस्थापन'' - 111.94 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन की स्कीमों के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(c) "Other Expenditure – Replacement of Assets" - saving of Rs.111.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to delay in approval of schemes for replacement of assets.

(IV) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''समुद्रपार जहाजरानी - अन्य व्यय - सर्वेक्षण पोत'' के अंतर्गत 7400.00 लाख रु. की बचत (7900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रक्षा मंत्रालय से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "5052" – "Overseas Shipping – Other Expenditure – Survey Vessels" - saving of Rs.7400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7900.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Ministry of Defence.

(V) मुख्य शीर्ष ''5075'' - ''अन्य - अन्य व्यय - मुख्य पोत के लिए बेब आधारित इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज का विकास'' के अंतर्गत 500.00 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "5075" – "Others – Other Expenditure – Development of Web based Electronic data Interchange for Major Port" - saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to delay in finalisation of proposals.

(VI) मुख्य शीर्ष ''6858'' - ''अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हुगली डाक और पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड'' के अंतर्गत 200.00 लाख रु. की बचत (1050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ कर्ज प्रस्तावों के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "6858" – "Other Industrial Machinery Industries – Loans to Public Sector and other Undertakings – Hooghly Dock and Ports Engineers Ltd." - saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1050.00 lakhs) was due to delay in approval of some of the loan proposals.

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत 181.45 लाख रु. की बचत हुई, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत और 81 प्रतिशत थी।

(VII) Under two heads savings of Rs.181.45 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 25 percent and 81 percent of the sanctioned provision.